

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर, 2021

(असाधारण भाग I—खंड -1)

अधिसूचना

**सरकारी प्रतिभूतियों (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

एफ.संख्या.4(3)-बी(डब्ल्यूएडएम)/2021: भारत सरकार एतददवारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ में)
आ०स० का अस्थायी दर वाला नया बांड 2028	04 अक्टूबर, 2021	07-00-00	04 अक्टूबर, 2028	प्रसार	समान	4,000
6.10% सरकारी प्रतिभूति, 2031	12 जुलाई, 2021	10-00-00	12 जुलाई, 2031	मूल्य	समान	13,000
6.76% सरकारी प्रतिभूति, 2061	22 फरवरी, 2021	40-00-00	22 फरवरी, 2061	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से एक या एक से अधिक के लिए 2,000 रुपए करोड़ प्रत्येक की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियों भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 01 अक्टूबर 2021 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 01 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाहन 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**कब निर्गमित कारोबार**

4. ये प्रतिभूतियां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

**निर्गम की तारीख और प्रतिभूतियों के लिए भुगतान**

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर 01 अक्टूबर, 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 04 अक्टूबर, 2021 अर्थात् निर्गम/पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान**

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रतिभूति के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
आ०स० का अस्थायी दर वाला नया बांड 2028	परिवर्तनीय#	नई प्रतिभूति	नई प्रतिभूति	04 अप्रैल और 04 अक्टूबर
6.10% सरकारी प्रतिभूति, 2031	6.10	नई प्रतिभूति	03 अक्टूबर, 2021	12 जनवरी और 12 जुलाई
6.76% सरकारी प्रतिभूति, 2061	6.76	22 अगस्त, 2021	03 अक्टूबर, 2021	22 फरवरी और 22 अगस्त

#: भारत सरकार का अस्थायी दर वाला नया बांड 2028.

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। (ii) अस्थायी दर वाले बांड की मूल कूपन दर 182 दिवसीय राजकोशिय हूँडीयों (स्पष्टीकरण के लिए कृपया चित्रण देखें) की पिछली तीन नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) के भारित औसत आय (डब्ल्यू ए वाई ) के औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा निर्धारित स्थायी प्रसार के योग के सम्बन्धे होगा। यह प्रसार बांड के पूरे अवधि के दौरान नियत रहेगा। अंतनिहित आय की गणना वर्ष में 365 दिनों को द्यान में रखकर की जाएगी। (iii) बांड की समायावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवस राजकोशिय हूँडीयों की नीलामी के बंद कर दिये जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले की तीन गैर-रिपोर्टिंग शक्तिवार को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूति (याँ) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाईटीएम) की औसत होगी। यदि किसी शक्तिवार कोई विशेष छटटी /छटटियाँ हों, तो परिपक्वता पर आय की दर वही होगी जो पिछले कार्येतिवास पर थी। (iv) पहली कूपन अवधि की समाप्ति, 03 अप्रैल, 2022 पर आधार दर 3.40 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज, संबन्धित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

**आरम्भ भुगतान**  
(आशीष वच्छानी)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

चित्रण: अस्थायी दर वाले बॉन्ड 2028 पर देय आधार दर

दिनांक ..... को समाप्त अवधि के लिए कूपन भुगतान हेतु आधार दर की गणना

क्र.सं	182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामी	भारित औसत मूल्य	भारित औसत प्रतिफल (%)
1.	दिनांक क	98.3330	3.3998
2.	दिनांक ख	98.3391	3.3872
3.	दिनांक ग	98.3262	3.4139
			10.2009

@ 365 दिन के लिए वार्षिक दर पर

$$\text{आधार दर} = (10.2009 / 3) = 3.4003$$

दो दसमलव स्थानों तक पूर्णांकित = 3.40 प्रतिशत प्रति वर्ष

अनुबंध

### सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र: सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की इष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

- जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;
- अपवाद: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के इष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।
- जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;
- जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद: ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता: उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

#### IV. अन्य प्रचलनात्मक दिशानिर्देश:

- खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य होगा। कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन दिनांकित प्रतिभूति की किसी नीलामी में केवल एक बोली में भाग ले सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना होगा।
- अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में अपने ग्राहकों की ओर से एकल समेकित अप्रतिस्पर्धी बोली